न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

1. निगरानी संख्या— 10/2010—11
   गोल्डन फारेस्ट कम्पनी प्रा0लि0 —बनाम— राज्य सरकार
2. निगरानी संख्या— 11/2010—11
   गोल्डन फारेस्ट कम्पनी प्रा0लि0 —बनाम— राज्य सरकार
3. निगरानी संख्या— 12/2010—11
   गोल्डन फारेस्ट कम्पनी प्रा0लि0 —बनाम— राज्य सरकार
4. निगरानी संख्या— 13/2010—11
   गोल्डन फारेस्ट कम्पनी प्रा0लि0 —बनाम— राज्य सरकार
5. निगरानी संख्या— 14/2010—11
   गोल्डन फारेस्ट कम्पनी प्रा0लि0 —बनाम— राज्य सरकार
6. निगरानी संख्या— 15/2010—11
   गोल्डन फारेस्ट कम्पनी प्रा0लि0 —बनाम— राज्य सरकार
7. निगरानी संख्या— 16/2010—11
   गोल्डन फारेस्ट कम्पनी प्रा0लि0 —बनाम— राज्य सरकार

उपस्थित : श्री सुभाष कुमार, आई0ए0एस0 अध्यक्ष।

आदेश

उपरोक्त सभी निगरानियाँ सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, देहरादून द्वारा वाद संख्या—37, 39, 36, 35, 34, 30 एवं 33 वर्ष 1996—97 अन्तर्गत धारा—166/167 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम सरकार बनाम गोल्डन फारेस्ट इण्डिया लिमिटेड आदि में पारित निर्णयादेशों दिनांक 21—08—97 के विरूद्व योजित की गई हैं।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में तहसीलदार, देहरादून ने अपनी आख्या प्रेषित करते हुए उल्लेख किया कि श्री आर0के0 स्याल तथा उनके परिवार के सदस्यों द्वारा विभिन्न कम्पनियों के नाम जो कि गोल्डन फॉरेस्ट इण्डिया लिमिटेड से सम्बन्धित है विभिन्न गांवों में जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा—154(1) का उल्लघंन करते हुए काफी अधिक भूमि विभिन्न खातेदारों से पंजीकृत विकय पत्र के आधार पर कय की है। श्री आर0के0 स्याल तथा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा—154(1) कें प्रतिबन्धों का उल्लघंन करते हुए साढ़े बारह एकड़ से अधिक भूमि कय की गई है तथा मौके पर कब्जा भी है। तहसीलदार, देहरादून द्वारा अपनी आख्या में यह भी उल्लेख किया गया कि केतापक्ष ने धारा—154(1) जमींदारी विनाश अधिनियम में निर्दिष्ट सीमा से अधिक भूमि कय की है इसलिए उक्त भूमि को राज्य सरकार में निहित किए जाने हेतु जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा—166/167 के

अन्तर्गत कार्यवाही की जाय। तहसीलदार की आख्या के आधार पर सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, देहरादून ने वाद संख्या–37, 39, 36, 35, 34, 30 एवं 33 वर्ष 1996–97 अन्तर्गत धारा–166/167 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम सरकार बनाम गोल्डन फारेस्ट इण्डिया लिमिटेड आदि में निर्णयादेशों दिनांक 21–08–97 से विभिन्न ग्रामों की वादग्रस्त भूमि को जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–166/167 के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहित किये जाने के आदेश पारित किए गए। इन निर्णयादेशों के विरूद्व गोल्डन फॉरेस्ट इण्डिया लिमिटेड की ओर से मा0 राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के समक्ष पृथक–पृथक सात निगरानियाँ योजित की गई। मा0 राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा गोल्डन फॉरेस्ट कम्पनी प्रा0लि0 द्वारा आर0के स्याल आदि की ओर से प्रस्तुत निगरानी संख्या– 51 लगायत 57 वर्ष 1996–97 गोल्डन फारेस्ट कम्पनी प्रा0लि0 बनाम स्टेट उत्तर प्रदेश में अपने निर्णयादेश दिनांक 24–11–2000 से सभी निगरानियाँ स्वीकार कर सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, देहरादून द्वारा उपरोक्त सात वादों में पारित निर्णयादेश दिनांक 21–08–97 निरस्त किये गये। मा0 राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 24–11–2000 के विरूद्व राज्य सरकार की ओर से मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट पिटीशन संख्या–81(एम0/एस0) वर्ष 2000 एवं अन्य रिट पिटीशन योजित की गई जो मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा अपने निर्णयादेश दिनांक 21–12–2005 से निरस्त की गई। मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 21–12–2005 के विरूद्व राज्य सरकार की ओर से मा0 उच्चतम न्यायालय में सिविल अपील योजित की गई। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या–3195 वर्ष 2011 एवं एस0एल0पी0(सी0) संख्या–16476 आदि स्टेट ऑफ उत्तरांचल बनाम मै0 गोल्डन फारेस्ट कम्पनी प्रा0लि0 में अपील स्वीकार करते हुए निर्णयादेश दिनांक 11–04–2011 पारित करते हुए मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेश एवं राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 24–11–2000 निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः निस्तारण हेतु इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित किए गए। मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्णीत उपरोक्त सात निगरानियाँ पुनः सुनवाई हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुईं।

उपरोक्त निगरानियों में कमेटी गोल्डन फारेस्ट इण्डिया लि0 द्वारा पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जो इस न्यायालय के आदेश दिनांक 04–07–2012 से निरस्त किया गया जिसके विरूद्व कमेटी गोल्डन फारेस्ट इण्डिया लि0 ने मा0 उच्चतम न्यायालय में सिविल अपील योजित की गई जिसमें मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 10–03–2014 पारित करते हुए कमेटी गोल्डन फारेस्ट इण्डिया लि0 को सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने के आदेश पारित किये गये। मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णयादेश दिनांक 10–03–2014 के अनुपालन में सुनवाई हेतु 17–07–2014 की तिथि नियत

की गई थी परन्तु उक्त तिथि के पश्चात आज तक कमेटी गोल्डन फारेस्ट इण्डिया लि0 की ओर से उपरोक्त निगरानियों में पैरवी एवं सुनवाई हेतु कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ।

उपरोक्त निगरानियों में अधिवक्तागण निगरानीकर्तागण एवं राज्य सरकार की ओर से नियुक्त विशेष अधिवक्ता के तर्क सुने गये एवं अवर न्यायालयों की वाद पत्रावलियों तथा प्रस्तुत विधिक व्यवस्थाओं का सम्यक अध्ययन किया गया।

निगरानीकर्तागण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अरूण सक्सेना का तर्क है कि उपरोक्त निगरानियाँ सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, देहरादून द्वारा पारित निर्णयादेशों दिनांक 21—08—97 के विरूद्व योजित की गई हैं। अवर न्यायालय में तहसीलदार की आख्या के आधार पर कार्यवाही की गई। तहसीलदार की आख्या के साथ कोई विकय विलेख आदि संलग्न नहीं किया गया जिसके आधार पर खातेदारों के विरूद्व जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा—166/167 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई। अवर न्यायालयों की वाद पत्रावलियों पर भी कोई विकय विलेख अथवा अनुबन्ध पत्र आदि उपलब्ध नहीं है। मूल खातेदारों को अवर न्यायालय द्वारा कोई नोटिस अथवा सूचना आदि भी प्रेषित नहीं की गई। केवल तहसीलदार द्वारा प्रेषित जांच आख्या के आधार पर वादग्रस्त भूमि को राज्य सरकार में निहित कर दिया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के अनुरूप नहीं है। अवर न्यायालयों की वाद पत्रावलियों में ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह सिद्व हो सके कि मूल खातेदारों की भूमि को राज्य सरकार में निहित किए जाने से पूर्व साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया हो। धारा—154(1) जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के प्राविधान मात्र प्राकृतिक व्यक्ति पर लागू होते हैं न कि अप्राकृतिक व्यक्ति या संस्था या वैधानिक कम्पनी आदि पर। सहायक कलेक्टर के निर्णयादेश के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि काश्तकारों को वाद में कोई नोटिस जारी नहीं किय गये। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता निगरानीकर्ता की ओर से 2013(1) सी0ए0आर0 77 मा0 उच्चतम न्यायालय, रिट पिटीनशन संख्या—2046/एम0एस0 वर्ष 2001 मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल एवं आर0डी0 2001(92) पृष्ठ—99(हिन्दी) की विधिक व्यवस्थायें भी प्रस्तुत की गई।

निगरांनीकर्तागण की ओर से एक अन्य विद्वान अधिवक्ता श्री डी0आर0 तिवारी ने तर्क दिया कि तहसीलदार द्वारा सहायक कलेक्टर को प्रेषित की गई आख्या दिनांक 12—08—97 सरसरी है जिसमें जमींदारी विनाश नियमावली के नियम—148 का पालन नहीं किया गया है। सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, देहरादून के निर्णय दिनांक 21—08—97 में भी यह उल्लेख किया गया है कि काश्तकारों के विरूद्व जो कार्यवाही की गई है वह जिलाधिकारी के मौखिक निर्देश के आधार पर की गई है। काश्तकारों को कोई नोटिस नहीं दिया गया जिससे उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं हुआ। वादों में ग्रामसभा को पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि विधि अनुसार ग्रामसभा को वाद में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता द्वारा 2001 (92) आर0डी0 99(एच)

राजस्व परिषद उ0प्र0, 2005(सप्ली0) आर0डी0 512, 2007(103) आर0डी0 206 इलाहाबाद उच्च न्यायालय, 1998(89) आर0डी0(एच) 32 राजस्व परिषद उ0प्र0,1996(87) आर0डी0 240 इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं आर0डी0 1990 पृष्ठ–267 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की विधिक व्यवस्थायें भी प्रस्तुत की गई।

प्रतिउत्तरदाता राज्य सरकार की ओर से नियुक्त विशेष शासकीय अधिवक्ता श्री एल0डी0 थपलियाल द्वारा तर्क दिया गया कि काश्तकारों द्वारा जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–154 के उल्लघंन करने पर गोल्डन फारेस्ट कम्पनी को साढ़े बारह एकड़ से अधिक भूमि विक्रय करने पर जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–166/167 के अन्तर्गत समस्त भूमि सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी द्वारा आदेश दिनांक 21–08–97 से राज्य सरकार में निहित की गई। निगरानीकर्तागण द्वारा निगरानियाँ केवल इस तथ्य के आधार पर योजित की गई हैं कि अधीनस्थ न्यायालय से उन्हें कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। निगरानीकर्तागण ने अपनी निगरानी में इस बात को कहीं भी प्रदर्शित नहीं किया गया है कि उन्हें अधीनस्थ न्यायालय के निर्णयादेश की जानकारी कैसे प्राप्त हुई। काश्तकारों द्वारा गोल्डन फारेस्ट कम्पनी के पक्ष में विक्रय पत्र सम्पादित किए गए और 12.50 एकड़ से अधिक भूमि विक्रय करने पर धारा–166/167 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत भूमि राज्य सरकार में निहित हुई। काश्तकारों ने अथवा निगरानीकर्तागण ने अवर न्यायालय के आदेश के विरूद्व कोई पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। जिन आदेशों को निगरानीकर्तागण ने निगरानी में चुनौती दी है वे प्रशासनिक आदेश हैं और प्रशासनिक आदेशों के विरूद्व निगरानी पोषणीय नहीं है। किसी भी क्रेता या कब्जाधारक द्वारा जो भी भूमि साढ़े बारह एकड़ से अधिक अर्जित की जाती है तो अधिक अर्जित की गई है तो उससे धारा–154 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम का सरासर उल्लघंन होता है जिससे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम अधिकारी इस बात का संज्ञान लेते ही अधिक अर्जित भूमि को राज्य सरकार में बिना नोटिस निर्गत किए ही भूमि को राज्य सरकार में निहित किए जाने के आदेश पारित कर सकती है। प्रश्नगत आदेश प्रशासनिक आदेश हैं जिनको किसी भी राजस्व न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। जो निगरानी प्रस्तुत की गई हैं वह केवल गोल्डन फारेस्ट कम्पनी द्वारा ही प्रस्तुत की गई हैं किसी भी काश्तकार अथवा खातेदार द्वारा कोई निगरानी योजित नहीं की गई है जिससे यह पुष्ट होता है कि असल काश्तकारों द्वारा विवादित भूमि को विक्रय किया गया है। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता द्वारा आर0डी0 1979 पृष्ठ–121, आर0डी0 2010(109) पृष्ठ 696 मा0 उच्चतम न्यायालय, आर0डी0 1979 पृष्ठ 80 मा0 उच्चतम न्यायालय, आर0डी0 2001(92) पृष्ठ 25(एच) राजस्व परिषद उ0प्र0, आर0डी0 1999(90) पृष्ठ–40 राजस्व परिषद उ0प्र0, आर0डी0 2002(94) पृष्ठ 115 राजस्व परिषद उ0प्र0 एवं आर0डी0 2005(98) पृष्ठ–158 मा0 उच्चतम न्यायालय की विधिक व्यवस्थायें भी प्रस्तुत की गई।

मैंने अवर न्यायालय सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, देहरादून की सभी वाद पत्रावलियों का सम्यक अध्ययन एवं अवलोकन किया। इन सभी वादों की कार्यवाही तहसीलदार, देहरादून की इस आशय की आख्या दिनांक 12–08–97 के आधार पर प्रारम्भ हुई कि श्री आर0के0 स्याल द्वारा विभिन्न कम्पनियों के प्रबन्धक की हैसियत से भूमि क्रय की है जो 12.50 एकड़ से अधिक है और जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–154(1) में उल्लिखित सीमा से अधिक होने से अधिनियम की धारा–154(1) का उल्लघंन होने के कारण भूमि जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–166/167 के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहित होने योग्य है। तहसीलदार की संस्तुति के आधार सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, देहरादून ने अपने निर्णयादेशों दिनांक 21–08–97 से वादग्रस्त समस्त भूमि जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–166/167 के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहित किए जाने के आदेश पारित किए गए। न्यायालय सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, देहरादून की समस्त वाद पत्रावलियों के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ है कि विद्वान सहायक कलेक्टर द्वारा प्रश्नगत आदेश पारित करने से पूर्व मूल खातेदारों/काश्तकारों को नोटिस अथवा सूचना प्रेषित नहीं की गई जिसके कारण खातेदारों/काश्तकारों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ। इसके साथ ही वाद पत्रावलियों में कोई विक्रय पत्र अथवा अनुबन्ध पत्र आदि भी उपलब्ध नहीं है जिससे यह पुष्ट हो सके कि वास्तव में मूल खातेदारों द्वारा विक्रय पत्र के माध्यम से भूमि गोल्डन फारेस्ट कम्पनी के पक्ष में विक्रय की गई है। विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, देहरादून के निर्णयादेश दिनांक 21–08–97 के पृष्ठ–2 में भी यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत भूमि अभी भी विभिन्न खातेदारों/विक्रेताओं के नाम दर्ज चली आ रही है। इसके अतिरिक्त अवर न्यायालय की वाद पत्रावली के आदेश पत्र दिनांक 21–08–97 में भी समस्त कार्यवाही जिलाधिकारी के मौखिक निर्देशानुसार किए जाने का उल्लेख है। वादग्रस्त भूमि को जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–166/167 के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहित किए जाने से पूर्व मूल खातेदारों एवं काश्तकारों को अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है और न ही उन्हें कोई सूचना अथवा नोटिस प्रेषित किया गया। प्रतिपक्षी राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता द्वारा भी अपने कथनों में इस बात को पुष्ट किया गया है कि खातेदारों/काश्तकारों को कोई नोटिस अथवा सूचना प्रेषित नहीं की गई है। तहसीलदार, देहरादून द्वारा सहायक कलेक्टर को अपनी रिपोर्ट दिनांक 12–08–97 को प्रेषित की गई और विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, देहरादून ने दिनांक 21–08–97 को आदेश पारित कर समस्त भूमि राज्य सरकार में निहित कर दी। बिना विधिक प्रकिया का अनुपालन किये ही समस्त भूमि राज्य सरकार में निहित किए जाने से काश्तकारों/मूल खातेदारों को अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर उपलब्ध नहीं हुआ। प्राकृतिक न्याय

के सिद्वान के अनुसार मूल खातेदार की भूमि को राज्य सरकार में निहित किए जाने से पूर्व उन्हें अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने व सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था जिसका पालन नहीं किया गया। विभिन्न विधिक व्यवस्थाओं में भी यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि को राज्य सरकार में निहित किए जाने से पूर्व खातेदार/काश्तकार को नोटिस अथवा सूचना प्रेषित की जानी चाहिए।

अतः उपरोक्त विवेचना के आलोक में मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि अवर न्यायालय द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 21–08–97 त्रुटियुक्त है और खातेदारों/काश्तकारों को अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित है।

इसके अतिरिक्त इस न्यायालय द्वारा सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, देहरादून की मूल वाद पत्रावली संख्या– 36/96–97 अन्तर्गत धारा–166/167 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम सरकार बनाम गोल्डन फारेस्ट इण्डिया लि0 मौजा डाण्डा लखौण्ड, परगना परवा/पछवादून को इस न्यायालय को उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी, देहरादून को अन्तिम अनुस्मारक दिनांक 28–08–2014 को प्रेषित किया गया था परन्तु वाद पत्रावली उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, देहरादून उपरोक्त मूल वाद पत्रावली को भी तलाश कर तद्नुसार उसका विधिनुसार निस्तारण करें।

इस न्यायालय में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त कमेटी–गोल्डन फारेस्ट इण्डिया लिमिटेड द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है अतः उन्हें यह अवसर उपलब्ध होगा कि वे तद्नुसार सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, देहरादून के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करें। सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, देहरादून को निर्देशित किया जाता है कि वे कमेटी–गोल्डन फारेस्ट इण्डिया लि0 को भी वाद में पक्षकार बनाते हुए उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करें।

निगरानी स्वीकार कर अवर न्यायालय के आदेश दिनांक 21–08–97 निरस्त कर प्रकरण विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, देहरादून को इस निर्देश सहित प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त निर्णयादेश में दी गई विवेचना के आलोक में वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में सम्बन्धित सब रजिस्ट्रार कार्यालय से विक्रय पत्रों के सत्यापन उपरान्त सभी काश्तकारों एवं खातेदारों को पृथक–पृथक नोटिस प्रेषित करते हुए उन्हें साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए वाद का गुणदोष के आधार पर विधिसम्मत निस्तारण करें। इस आदेश की प्रति अन्य–06 निगरानी संख्या–11 से 16 वर्ष/2010–11 गोल्डन फारेस्ट कम्पनी बनाम सरकार पर भी संलग्न की जाय।

दिनांकः 21 अक्टूबर, 2014

(सुभाष कुमार)
अध्यक्ष,
राजस्व परिषद।